GCMS - 2025/174

APP-A
Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

सरकार बनाम अरविंद भाई पटेल

किस्म मुकदमा 136 L.R नं. 28 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
2/4/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 9/4/25 को पेश हो।	
9/4/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम नयाखेड़ा के खाता संख्या 122 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 882 दिनांक 18.03.2024, नामा0 संख्या 883 दिनांक 18.03.2024 व नामा0 संख्या 884 दिनांक 18.03.2024 बेचान द्वारा केता का नाम चन्द्रिका बेन पटेल पुत्री अरविन्द भाई पटेल तथा मीना बेन पटेल पुत्री हंसमुख भाई पटेल व मीना बेन पटेल पत्नि हंसमुख भाई पटेल दर्ज हुआ। जिसमें केता की तीन बार एन्ट्री हो रही है। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। रजिस्टर्ड विकय पत्र पजीयन कमांक 202403123104547, 202403123104548 व 202403123104550 दिनांक 18.03.2024 में केता चन्द्रिका बेन पटेल पुत्री अरविन्द भाई पटेल तथा मीना बेन पटेल पुत्री हंसमुख भाई पटेल व मीना बेन पटेल पत्नि हंसमुख भाई पटेल की तीन बार एन्ट्री ऑनलाईन हुई है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है। जिसे दुरूस्त किया जाना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम नयाखेड़ा के खाता संख्या 122 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 882 दिनांक 18.03.2024, नामा0 संख्या 883 दिनांक 18.03.2024 व नामा0 संख्या 884 दिनांक 18.03.2024 बेचान द्वारा केता का नाम चन्द्रिका बेन पटेल पुत्री अरविन्द भाई पटेल तथा मीना बेन पटेल पुत्री हंसमुख भाई पटेल व मीना बेन पटेल पत्नि हंसमुख भाई पटेल दर्ज हुआ। जिसमें केता की तीन बार एन्ट्री हो रही है। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्युटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम नयाखेड़ा के खाता संख्या 122 में चन्द्रिका बेन पटेल पुत्री अरविन्द भाई पटेल हि0 1/24, चन्द्रिका बेन पटेल पुत्री अरविन्द भाई पटेल हि0 1/24, चन्द्रिका बेन पटेल पत्नि अरविन्द भाई पटेल हि0 3/16 के स्थान पर चन्द्रिका बेन पटेल पुत्री अरविन्द भाई पटेल हि0 13/48 तथा मीना बेन पटेल पुत्री हंसमुख भाई पटेल हि0 1/24, मीना बेन पटेल पुत्री हंसमुख भाई पटेल हि0 1/24, मीना बेन पटेल पत्नि हंसमुख भाई पटेल हि0 3/16 के स्थान पर मीना बेन पटेल पुत्री हंसमुख भाई पटेल हि0 13/48 दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 9/4/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।	

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी कोटा